न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 60/2076 जिला दौसा

1. घासी पुत्र मांगी लाल
2. अमर सिंह पुत्र रामकिशन
   जाति गुर्जर, निवासी भांडारेज, तहसील दौसा, जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामसिंह पुत्र नारायण
2. विश्रम पुत्र नारायण
3. गंगा सहाय पुत्र अर्जुन
4. रामजी लाल पुत्र अर्जुन
5. घासीराम पुत्र बहराम
6. सीताराम पुत्र बहराम
7. बाबू लाल पुत्र बहराम
8. रमेश पुत्र जगदीश (बहराम का बेटा)
9. हीरा लाल पुत्र श्योनारायण
10. कैलाश पुत्र रामान
11. विजय सिंह पुत्र रामधन
12. सुमेर सिंह पुत्र रामधन
    समस्त जाति गुर्जर, निवासी भांडारेज ढाणी बाग तहसील व जिला दौसा ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदर, तहसील दौसा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला कलक्टर दौसा दिनांक 3.8.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार जोशी
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक – 27.8.2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 3.8.2016 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ दिनांक 8.11.2017 प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम भाण्डारेज, तहसील व जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 4119 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 4118 रकबा 19 बिस्वा के खातेदार रामनारायण, मांग्या, रामकिशन थे । प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 350 पटवारी हल्का द्वारा काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत श्योनारायण पुत्र रामसुखा के नाम भरा गया जिसे दिनांक 25.8.1960 को तहसीलदार दौसा द्वारा धारा 19 के तहत मंजूर किया है ।

उक्त नामांतरकरण संख्या 350 दिनांक 25.8.1960 से व्यथित होकर रामसिंह पुत्र नारायण वगैहरा द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष दिनांक 15.10.2015 को प्रस्तुत की गई, जिस पर अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर दौसा ने दिनांक 3.8.2016 को पारित किया कि " तहसीलदार द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 350 दिनांक 25.8.60 के संबंध में पक्षकारान में विवाद होने से यह अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है । उभय पक्षकारान द्वारा स्वयं ने ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर तदानुसार नामांतरकरण खुलवाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया है । अतः अपील में प्रस्तुत राजीनामा को मद्देनजर रखते हुये प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जा कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा नामांतरकरण संख्या 350 दिनांक 25.8.60 पर पारित आदेश निरस्त किया जाता है । तहसीलदार दौसा को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण की विस्तृत जॉच कर उभयपक्षों को सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बाद जॉच विधि सम्मत निर्णय पारित करें "।

जिला कलक्टर दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3.8.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट घासी पुत्र मांगी लाल व अमर सिंह पुत्र रामकिशन द्वारा यह द्वितीय अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर दौसा दिनांक 3.8.16 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से कोई हाजिर नहीं आये । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट घासी एवं अपीलान्ट संख्या 2 के पिता द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के उपरान्त मिसल नम्बर 27 फैसला दिनांक 4.2.1963 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 4119 जिससे खसरा नम्बर 780 बने थे, मुताबिक डिक्री के अनुसार श्योनारायण पुत्र रामसुखा हिस्सा 1/2 , रामकिशन पुत्र नहनू , मु. भौरी बेवा मांग्या हिस्सा 1/2 का नामांतरकरण सख्या 487 दिनांक 4.12.1966 को तहसीलदार दौसा द्वारा तस्दीक किया गया तथा बाद में अलग अलग खाते संख्या 780/1, 780/2 कायम किये गये जिसमें 780/2 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा रामकिशन पुत्र नहनू व भौरी बेवा मांग्या के नाम किया गया ओर रामकिशन की मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट संख्या 2 अमर सिंह के नाम उक्त भूमि का नामांतरकरण खुलकर खातेदारी दर्ज हुई तथा भौंरी बेवा मांग्या के नाम वर्तमान में नामांतरकरण प्रकिया विचाराधीन है । उनका कहना था कि साबिक खसरा नम्बर 4118 व 4119 के दौराने एकीकरण नवीन नम्बर 779, 780 कायम हुये थे तथा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये भू प्रबन्ध के दौरान उक्त खसरा

नम्बर 779 व 780 के नवीन खसरा नम्बर 8271, 8272, 8275, 8273, 8284 व 8285 कायम किये गये है जिनकी खातेदारी अपीलान्ट्स के नाम है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 8 द्वारा अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की थी, लेकिन जमाबन्दी भी पेश नहीं की थी । उनका कहना था कि नामांतरकरण संख्या 350 के पश्चात् नामांतरकरण संख्या 487 तस्दीक होने से नामांतरकरण संख्या 350 प्रभावशुन्य हो गया था तथा उसका कोई महत्व ही नहीं था । उनका कहना था कि रेस्पांडेन्ट्स ने नामांतरकरण संख्या 350 दिनांक 25.8.60 के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील वर्ष 2015 में करीबन 55 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की थी, जो निराशाजनक रूप से विलम्बित थी तथा विलम्ब का कारण भी कपोल कल्पित था । अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु का तय किये बिना ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को तय करना चाहिये । मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको नजरन्दाज नहीं किया जा सकता । अपीलाधीन निर्णय में मियाद के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त किये बिना ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार अपीलान्ट्स को बिना सुने व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश प्रकरण के महत्वपूर्ण एवं विधिक तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये पारित किया है, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाये जाने से अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान उसे समय पर नहीं हो सका था एवं दिनांक 30.10.2017 को पटवारी से जमाबन्दी की नकल लेने पर ज्ञान हुआ और यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा निरस्त किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम अपीलान्ट्स हितबद्ध व्यक्ति होने से धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र एवं मियाद के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाते हैं । प्रकरण में विवाद विवादित भूमि के नामांतरकरण संख्या 350 दिनांक 25.8.1960 के संबंध में है । तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत तस्दीक किया है जिसके खिलाफ 55 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत रेस्पोंडेन्ट की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.8.2016 से तहसीलदार द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 350 दिनांक 25.8.60 के संबंध में पक्षकारान में विवाद होने से अपील उनके न्यायालय के समक्ष पेश होने एवं उभय पक्षकारान द्वारा स्वयं ने ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर

तदानुसार नामांतरकरण खुलवाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन करने एवं अपील में प्रस्तुत राजीनामा को मद्देनजर रखते हुये प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हुये अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जा कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा नामांतरकरण संख्या 350 दिनांक 25.8.60 पर पारित आदेश निरस्त किया गया तथा तहसीलदार दौसा को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देश दिये गये कि प्रकरण की विस्तृत जॉच कर उभयपक्षों को सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बाद जॉच विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि ग्रम भाण्डारेज, तहसील व जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 4119 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 4118 रकबा 19 बिस्वा के खातेदार रामनारायण, मांग्या, रामकिशन थे, जिनके स्थान पर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 350 पटवारी हल्का द्वारा काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत श्योनारायण पुत्र रामसुखा के नाम भरा गया जिसे दिनांक 25.8.1960 को तहसीलदार दौसा द्वारा धारा 19 के तहत मंजूर किया है । भूमि एकीकरण विभाग के मिलान क्षेत्रफल संवत 2019 के अनुसार उक्त साबिक खसरा नम्बर 4119 के वर्तमान खसरा नम्बर 779 तथा साबिक खसरा नम्बर 4118, 4119 मि. के वर्तमान खसरा नम्बर 780 बने । मुताबिक डिक्री के अनुसार रामकिशन पुत्र नहनू, घासी पुत्र मांगी लाल के स्थान पर श्योनारायण पुत्र रामसुखा हिस्सा 1/2 , रामकिशन पुत्र नहनू , मु. भौरी बेवा मांग्या हिस्सा 1/2 के नाम नामांतरकरण सख्या 487 दिनांक 4.12.1966 को तहसीलदार दौसा द्वारा तस्दीक किया है । इसके बाद भू प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल संवत 2041 द्वारा साबिक खसरा नम्बर 780 मि. के वर्तमान खसरा नम्बर 8271, 8272, 8275, 8283, 8284 तथा साबिक खसरा नम्बर 779 के वर्तमान खसरा नम्बर 8285 बने । जमाबन्दी संवत 2051 से 2054 के अनुसार खसरा नम्बर 8271, 8272, 8283 , 8284 के खातेदार रामकिशन पुत्र नहनू एवं मु. भोरी बेवा मांग्या खातेदार है तथा खसरा नम्बर 8275 के खातेदार रामकिशन पुत्र नहनू, घासी पुत्र मांगी लाल एवं खसरा नम्बर 8285 की खातेदार भोंरी बंवा मांग्या है । विवादित भूमि के खातेदार अपीलान्ट घासी एवं अमर सिंह के पिता रामकिशन राजस्व अभिलेख में अभिलिखित होने से हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में पक्षकार बनाये बिना ही अपील प्रस्तुत कर राजीनामा करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित कराया है। अपीलान्ट्स विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में अपीलान्ट्स का नाम अभिलिखित होने से वे हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति हैं जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर तहसीलदार दौसा के समक्ष दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोंडेन्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये नामांतरकरण संख्या 350 दिनांक 25.8.1960 निरस्त करते हुये प्रकरण की विस्तृत जॉच कर उभयपक्षों को सुनवाई एवं सबूत का

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

समुचित अवसर प्रदार करते हुये बाद जॉच विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार दौसा को रिमाण्ड किया है जिसको यथावत रखते हुये इसी के परिपेक्ष्य में इस अपील के अपीलान्ट्स को भी तहसीलदार दौसा के स्तर पर सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार दौसा को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 3.8.2016 को यथावत रखते हुये इसी के परिपेक्ष्य में इस अपील के अपीलान्ट्स को भी सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर बाद जॉच विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत नामांतरकरण के संबंध में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.8.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर